वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] स्वीकार किया जाने पर पत्रावली नोटिस - 10 दिवस के अन्दर [illegible] पेशी दिनांक 07/11/2020 को [illegible] को जाकर आज पेश हुई। प्रतिवादी सं 5 ता 7 की तामील [illegible] हो चुकी है। लगातार [illegible] अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी सं 5 ता 7 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रकरण में बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 12/10/2020 को पेश हो।

पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उप०। प्रकरण में बहस वकुलाय उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। दरवक्त बहस वकुलाय उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि विवादित पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है जिसे न्यायालय हाजा द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। अतः वाद, वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा दिनांकित 30/7/2020 डिक्री किया जाता है। राजीनामा दिनांकित 30/7/2020 डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक राजीनामा दिनांकित 30/7/2020 राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार प्रकरण में पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार) RAS
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला